मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक : 1594/आर. /चार/ब–7/डीएमसी 2018 भोपाल दिनांक 28 दिसम्बर 2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में मितव्ययता के संबंध में ।

000

प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं आदि के लिये प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता तथा लक्षित वित्तीय संकेतकों की सीमा में व्यय रखे जाने को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018–19 की शेष अवधि के लिये निम्नांकित मदों के अंतर्गत प्रावधानित बजट राशि में से व्यय को पूर्व वर्षो में प्रचलित प्रक्रिया अनुरूप निम्नानुसार नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है :–

1/– वर्ष 2018–19 की शेष अवधि के लिए निम्नांकित मदों पर प्रतिबंध रहेगा :–

(i) कार्यालयीन उपकरण एवं वाहनों का क्रय ।

(ii) राजस्व विभाग (शासकीय मुद्रणालय) को छोड़कर अन्य विभागों, निगम /मंडलों आदि द्वारा वर्ष 2019 की डायरी/कैलेण्डर का मुद्रण।

2/– वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित मदों में भुगतान की सीमा, वर्ष 2018–19 में उपलब्ध आवंटन अथवा वर्ष 2017–18 में हुआ वास्तविक व्यय (इनमें से जो भी कम हो) रहेगी :–

(i) कार्यालय व्यय (उद्देश्य शीर्ष 22)

(ii) व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ (उद्देश्य शीर्ष 31)

(iii) अनुरक्षण कार्य (उद्देश्य शीर्ष 33)

(iv) सामग्री एवं पूर्तियॉ (उद्देश्य शीर्ष 34)

3/– निम्नांकित क्रय/व्यय उपर्युक्त सरल क्रमांक 2 के प्रतिबंध से मुक्त होंगे :–

(i) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं/केन्द्र सहायतित योजनाएं, पेयजल से संबंधित योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ।

(ii) छात्रावास, आश्रम विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय, आंगनवाडी के संचालन हेतु आवश्यक दवाईयों एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति संबंधी मद ।

(iii) चिकित्सालयों में उपचार कार्य में आने वाली सामग्री, लिनिन, गॉज, बैण्डेज, पट्टी, रिएजेंट एवं अन्य सामग्री, जो उपचार के उपयोग में लाई जाती है ।

4/– उपर्युक्तानुसार व्यय को नियंत्रित करने हेतु तत्काल कार्यवाही करें ।

28/12/18
(तेजस्वी एस. नायक)
संचालक, बजट,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

पृ0क्रमॉक : 1595/आर. /चार/ब–7/डीएमसी 2018 भोपाल दिनांक 28 दिसम्बर 2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचित । प्रश्नाधीन बजट शीर्ष के बजट सीमा को परिपत्र में उल्लेखित सीमा तक सीमित करने का अनुरोध है ।

(रूपेश पठवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल